न्यायालय : अवर न्यायाधीश,अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
स्वत्व वाद संख्या 239 / 2015
सीआइएस 533.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 14.12.2023 वाद पुकारा गया। मामले में वादी प्रस्तुत आवेदन 24.11.2022के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

वादी का कथन है कि वादी ने वाद पत्र को साबित करने के लिए वाद बिंदु के गठन के पूर्व कुछ दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किया है यह कि वादी साक्षी सं0 3 के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुआ और शपथ पत्र के पैरा 38 में दाखिल कागजातों का अभिरक्षा भी स्वीकार की । यह कि वादी की ओर से दाखिल कुछ कागजात 30 साल पुराना होने के कारण लोक दस्तावेज की श्रेणी में है एवं कुछ दस्तावेज लोक दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि है यह कि मूल बयनामा 19.08.1955 सकलदेव बनाम लालबाबू पाण्डेय, सच्ची प्रतिलिपि वयबुलवफा दिनांक 11.02.2004 लाल बाबू पाण्डेय बनाम सच्चिदा राउत , मूल दस्तावेज बदलैन दिनांक 11.09.1991 सुरेश पाण्डेय बनाम चंद्रभूषण पाण्डेय, मूल जरपेसगी दस्तावेज दिनांक 31.03.1960 नाविस्ते सुकदेव पाण्डेय बनाम एतवार ठाकुर है अतः उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की तरफ से अपने प्रतिउत्तर नहीं दिया गया इसलिए न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2023 को प्रतिउत्तर से वंचित किया गया और मामला सुनकर आदेश पर निर्धारित किया गया है।

उपस्थित पक्ष को सुना, पत्रावली का तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । वाद आठ वर्ष पुराना है । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु जो आवेदन दिया गया है उसमें 4 दस्तावेजों का जिक्र है । मामले में मूल बयनामा 19.08.1955 सकलदेव बनाम लालबाबू पाण्डेय, मूल दस्तावेज बदलैन दिनांक 11.09.1991 सुरेश पाण्डेय बनाम चंद्रभूषण पाण्डेय, मूल जरपेसगी दस्तावेज दिनांक 31.03.1960 नाविस्ते सुकदेव पाण्डेय बनाम एतवार ठाकुर यह तीन दस्तावेज 30 वर्ष पुराने हैं तथा उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किए गए हैं एवं वाद बिंदु के गठन से पूर्व प्रस्तुत हैं अतः इन तीन दस्तावेजों को तीस वर्ष से पुराना होने के कारण प्रदर्श अंकित करने की इजाजत दी जाती है एक अन्य दस्तावेज जो मूल व्यबुलवफा 11.02.2004 का सच्ची प्रतिलिपि है इसे लोक दस्तावेज होने के कारण दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित करने की इजाजत दी जाती है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह दस्तावेजों पर क्रमानुसार प्रदर्श सं0 अंकित करें। वाद दिनांक .....अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)